भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4495 का उत्तर

अलवर और जयपुर के बीच रेलवे समपार

4495. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अलवर और जयपुर के बीच रेल पटरी पर रेल समपारों की संख्या का प्रत्येक समपार की संख्या और स्थान सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त संख्या में से उन समपारों का ब्यौरा क्या है जहाँ अब तक रोड ओवरब्रिज (आरओबी)/अंडरपास का निर्माण पूरा हो चुका है तथा उनका स्थान और निर्माण वर्ष क्या है; और

(ग) शेष समपारों पर आरओबी/अंडरपास का निर्माण कब तक प्रस्तावित है तथा अपेक्षित समय-सीमा, प्रस्ताव और अनुमोदन की स्थिति और बजट आवंटन क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): वर्तमान में, अलवर-जयपुर खंड पर कुल 52 अदद समपार हैं, जिनमें से 27 अदद समपारों को ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों के तहत समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

वर्ष 2014-25 (जून, 2025) के दौरान, अलवर-जयपुर खंड पर समपारों आदि के स्थान पर कुल 29 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया है।

भारतीय रेल पर समपार के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों (आरओबी/आरयूबी) के कार्यों की स्वीकृति और निष्पादन सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों की गाड़ी परिचालन में संरक्षा और गतिशीलता पर उनके प्रभाव तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और शुरू किया जाता है।

वर्ष 2004-14 की अवधि की तुलना में 2014-25 (जून, 2025) के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4148 अदद
2014-25 (जून 2025)	13426 अदद (राजस्थान राज्य में 1562 अदद सहित)

दिनांक 01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर 1,00,860 करोड़ रुपये की लागत से 4,402 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें राजस्थान राज्य में 5383 करोड़ रुपए की लागत से 541 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्य शामिल हैं।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 (जून, 2025 तक) के दौरान, राजस्थान राज्य में 15 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया है।

ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों का पूरा होना और कमीशन करना समपार को बंद करने की सहमति प्रदान करने में राज्य सरकारों का सहयोग, पहुँच मार्ग संरेखण का निर्धारण, सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) का अनुमोदन, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, अतिलंघनकारी उपयोगिताओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंज़ूरी, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण किसी विशेष परियोजना/क्षेत्र के लिए एक वर्ष में कार्यों की अवधि आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

******